CURRENT GOVERNMENT ORDERS ON MOVEMENT OF MIGRANT WORKERS AS ON 03/05/2020 + TUTORIAL ON FILLING OUT GOVERNMENT FORM FOR WORKER REGISTRATION FOR TRAVEL

(Hindi)

03/05/2020

प्रवासी मजदूरों के लिए एक घोषणा

दक्षिणी रेलवे ने कहा है कि कल (03/05/2020) तक "श्रमिक ट्रेनों" के चलाये जाने के बारे में तमिलनाडु सरकार की तरफ से कोई आवेदन या विनती प्राप्त नहीं हुई है.

इसके तुरंत बाद गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक पत्र भेजा, जिसमें साफ़ किया गया कि जो प्रवासी मजदूर लम्बे समय से दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, उनको पीड़ित या मजबूर नहीं मन जाएगा।

जो मजदूर तालाबंदी (लॉकडाउन) के कुछ दिन पहले दुसरे राज्यों में गए थे, उन्हें पीड़ित या मजबूर मानकर वापस लाया जाएगा.

गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे इन प्राथमिकताओं के आधार पर मजदूरों को वापस भेजने की व्यवस्था करेंगे।

हम आपको इस बारे में जानकारी भेज रहे हैं ताकि आप इस जानकारी से खुद अपने हिसाब से समझ सकें.

केंद्रीय सरकार और तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि वे धीरे-धीरे उद्योग खोलेंगे।

चेन्नई में उन्होंने निर्माण काम (बिल्डिंग वगैरह) को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। कांचीपुरम, चेंगलपेट और तिरुप्पुर के फ़ैक्टरियों में मजदूरों को लगा के काम चालू करने की अनुमति दी है। लेकिन श्रमिकों के लिए घर लौटने का कोई आश्वासन अभी तक नहीं है।

इस अनिश्चितता की हालत के बावजूद, यदि आपको लगता है कि आप वापस जाने का फ़ॉर्म भर के अपना पंजीकरण करना चाहते हैं, तो कुछ जानकारी है जो हम आपको इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए भेज रहे हैं।

हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि अगर आपके कंपनी या ठेकेदार आपको काम पर वापिस बुलाना चाहते हैं, उसके लिए एक तय प्रक्रिया बनायी गयी है.

एक डॉक्टर की मौजूदगी बेहद ज़रूरी है.

कार्य क्षेत्र का sanitization, यानि कि दवा छिड़काव द्वारा सफाई होनी चाहिए.

आपके लिए यह बेहद ज़रूरी है कि आपके लिए पर्याप्त व पौष्टिक खाना, साफ़-सुथरे हवादार शेल्टर, शौचालय, आराम, ब्रेक-अवकाश और फर्स्ट-एड जैसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हों.

ये सुविधाएँ पगार/मानदेह/मजदूरी के अलावा मिलनी चाहिए, न की मजदूरी काट के.

सरकार की तरफ से मजदूरी में कटौती की कोई घोषणा नहीं हुई है. अगर आपकी कंपनी या ठेकेदार या मालिक आपको कहता है की मजदूरी सरकार ने काम कर दी है, तो वो झूठ बोल रहा है.

भले ही आप अपने घर या गाँव वापस जाओ या यहीं रुको,आपको फ़रवरी-मार्च-अप्रैल की अपनी बकाया मजदूरी लेने का पूरा हक़ है.

अगर आप काम पर वापस लौटते हैं, तो आपको मजदूरी मिलनी चाहिए. अगर नहीं मिलती मतलब उसे बंधुआ मजदूरी समझा जाएगा. अगर आपकी कंपनी या ठेकेदार या मालिक आपसे कहता है कि बिना मजदूरी के काम करना होगा, तब भी वो झूठ बोल रहा है.

हालांकि ये बात सही है कि गांव वापस जाने के लिए गाड़ी/ट्रेन की क्या व्यवस्था है इस पर अभी तक कोई पक्की जानकारी नहीं है. मगर इसका मतलब ये नहीं की आपका मालिक / कंपनी / ठेकेदार आपके लिए फैसला ले सकता है. सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है.

आपका फैसला आपके हाथ में है.

सरकार का नया फरमान: घर नहीं जा सकते मजदूर

लाखों मजदूर छूट मिलने पर जैसे-तैसे घर को चले, बीच रास्ते फंसे।

गृह मंत्रालय की ओर से अब एक नया फरमान आ गया। लॉकडाउन में घर जाने की मिली छूट वापस ले ली।

ताजा आदेश सर्कुलर में कहा गया है कि छूट का आदेश उनके लिए नहीं है, जो रोजगार के चलते घर से दूर आराम से रह रहे हैं। छूट उन लोगों के लिए भी नहीं होगी जो किसी वजह के बिना अपने घर जाना चाहते हैं।

गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन के दौरान लोगों के आने-जाने को लेकर जारी निर्देश उनके लिए नहीं हैं, जो अपने घर दूर अन्य जगहों पर काम आदि के सिलसिले में रह रहे हैं। न ही यह छूट उन लोगों के लिए है, जो बिना किसी वजह साधारण तरीके से अपने घर जाना चाहते हैं।

Source: https://www.workersunity.com/news/governments-new-order-workers-cannot-go-home/

03/05/2020

चेन्नई कॉर्पोरेशन सुनिश्चित करेगी कि प्रवासी मज़दूर काम पर लौटेंगे

आयुक्त जी. प्रकाश ने रविवार को कहा कि चेन्नई नगर निगम सुनिश्चित करेगा कि शहर में प्रवासी कामगार अपने नौकरी पर लौट आएंगे ।

लॉकडाउन के कारण चेन्नई में फसे हुए मज़दूरों ने घर जाने की मांग करते हुए शहर के कई हिस्सों में धरना प्रदर्शन किया। इसके कारण उद्योगपतियों में फैली घबराहट को शांत करने के लिए चेन्नई नगर निगम ने यह बयान दिया है।

“हम औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। सामान्य जीवन की ओर लौटना ज़रूरी है । निगम शिविरों में 5,000 कर्मचारी हैं और हम उनमें से लगभग 90 प्रतिशत का ध्यान रखेंगे। हमने संवाददाताओं से कहा कि सामान्य जीवन को फिर से शुरू करने में हम श्रमिकों की मदद करेंगे। अगर

कोई फिर भी छोड़ना चाहता है, तो हम उनके अनुरोध पर विचार करेंगे। कन्टेनमेंट जोन के बाहर सोमवार से निर्माण कार्य (कंस्ट्रक्शन) शुरू होगा।

प्रकाश ने कहा कि निर्माण कार्य शुरू होने से श्रमिकों को रोजगार मिलेगा और सामान्य स्थिति में लौटने की मदद मिलेगी।

शनिवार को सैकड़ों प्रवासी निर्माण मजदूरों ने वेलच्चेरी, पल्लावरम और गिण्डी में धरना प्रदर्शन किया। निगम के मुख्यालय रिपन बिल्डिंग में भी विरोधकर्ताओं की भीड़ लग गयी थी।

आयुक्त ने कहा कि पर्यटकों और फंसे हुए छात्रों को शहर छोड़ने में प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रवासी मजदूर जल्द ही सामान्य जीवन में लौट आएंगे।

निर्यात इकाई (एक्सपोर्ट यूनिट्स) में 25 प्रतिशत कर्मचारी और आई टी कंपनियों में 10 प्रतिशत कर्मचारी काम कर सकते हैं।

इसके अलावा, कन्टेनमेंट जोन के बाहर जो दुकान सरकार की सूची में हैं, उनको चलाने की अनुमति है। मेट्रो और पुल कार्यों के लिए जो ईंट भट्टी और पत्थर खदान सामग्री बनाते हैं, वे भी काम शुरू कर सकते हैं।

आयुक्त ने घर के मालिकों को अपने घरेलू कामगारों के लिए काम पास प्राप्त करने की सलाह दी। "घरेलू श्रमिकों को पता नहीं हो सकता है कि पास के लिए आवेदन कैसे करें। इसलिए घर के मालिक उनकी मदद करें, " उन्होंने कहा.

Source: https://www.newindianexpress.com/cities/chennai/2020/may/04/will-ensure-migrants-return-to-work-routine-chennai-corporation-on-lockdown-2138829.html

---

यह टूटोरियल आप तमिलनाडु में फसे प्रवासियों के लिए है, जो घर जाना चाहते है! यह टूटोरियल आप को फार्म भरने में मदद करेगा : https://rtos.nonresidenttamil.org. यह फार्म तमिलनाडु सरकार ने जारी किया है आप प्रवासियो का पंजिकरण कर घर भेजने का प्रबन्ध करने के लिए!

https://www.youtube.com/watch?v=xbVVqze2dqo&feature=youtu.be